न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 159 / 2025
जीसीएमएस सख्या – (2025 / 255)

निगरानीकर्ता / प्रार्थीः–
शिवराम पुत्र बस्तीराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकारः–
1. सालगराम पुत्र राणाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आवासीय भूमि का पट्टा सं. 40 जारी दिनांक 26.11.2019, मिसल सं. 63 / 2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 की ओर से)।

पंचायत निगरानी सं.– 160 / 2025
जीसीएमएस सख्या – (2025 / 254)

निगरानीकर्ता / प्रार्थीः–
शिवराम पुत्र बस्तीराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकारः–
1. सोनाराम पुत्र लालाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आवासीय भूमि का पट्टा सं. 37 जारी दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 60 / 2018–19 दायर दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 की ओर से)।

<u>पंचायत निगरानी सं.</u>– 161/2025
<u>जीसीएमएस सख्या</u> – (2025/253)

<u>निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–</u>

शिवराम पुत्र बस्तीराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–</u>

1. पदमाराम पुत्र राणाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आवासीय भूमि का पट्टा सं. 38 जारी दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 61/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 की ओर से)।

<u>पंचायत निगरानी सं.</u>– 162/2025
<u>जीसीएमएस सख्या</u> – (2025/261)

<u>निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–</u>

शिवराम पुत्र बस्तीराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–</u>

1. नारायणराम पुत्र राणाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आवासीय भूमि का पट्टा सं. 39 जारी दिनांक 26.11.2019, मिसल सं. 62/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 की ओर से)।

<u>पंचायत निगरानी सं.</u>– 163/2025
<u>जीसीएमएस सख्या</u> – (2025/262)

<u>निगरानीकर्ता/प्रार्थीः</u>–
शिवराम पुत्र बस्तीराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः</u>–

1. कालूराम पुत्र राणाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आवासीय भूमि का पट्टा सं. 36 जारी दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 59/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 की ओर से)।

<u>पंचायत निगरानी सं.</u>– 164/2025
<u>जीसीएमएस सख्या</u> – (2025/263)

<u>निगरानीकर्ता/प्रार्थीः</u>–
लक्ष्मणराम पुत्र लादूराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः</u>–

1. कालूराम पुत्र राणाराम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. उमाराम पुत्र केवलराम जातियान पटेल निवासी ग्राम मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत मोगडा कला जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आवासीय भूमि का पट्टा सं. शून्य जारी दिनांक 04.12.2019, मिसल सं. 172/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019, जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी किया गया, को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह एवं श्री करण सिंह (अप्रार्थी 01 व 02 की ओर से)।

–निर्णय– **दिनांक : 28.10.2025**

1. उक्त छः निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत एक ही तारीख में व एक ही संख्याओं के संकल्प पारित करके ग्राम पंचायत मोगडा कला, पंचायत समिति, लूणी द्वारा जारी आवासीय भूखण्ड के पट्टों को निरस्त करने हेतु पेश की गई है, जिसके तथ्य एवं कानूनी बिंदु एक समान होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से एक साथ दिनांक 16.10.2025 को बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से सुविधा की दृष्टि से निर्णित की जा रही है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।
2. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–
   a) निगरानी सं. 163/2025 (2025/262) (शिवराम बनाम कालूराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 59/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में बुक सं. 93 में से पट्टा सं. 36 जारी दिनांक 23.11.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.11.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व श्री करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।
   b) निगरानी सं. 160/2025 (2025/254) (शिवराम बनाम सोनाराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 60/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बुक सं. 93 में से पट्टा सं. 37 जारी दिनांक 23.11.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.11.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सोनाराम की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।

c) निगरानी सं. 161/2025 (2025/253) (शिवराम बनाम पदमाराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 61/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में बुक सं. 93 में से पट्टा सं. 38 जारी दिनांक 23.11.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.11.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।

d) निगरानी सं. 162/2025 (2025/261) (शिवराम बनाम नारायणराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 62/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में बुक सं. 93 में से पट्टा सं. 39 जारी दिनांक 26.11.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.11.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।

e) निगरानी सं. 159/2025 (2025/255) (शिवराम बनाम सालगराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 63/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में बुक सं. 93 में से पट्टा सं. 40 जारी दिनांक 26.11.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक 05.11.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।

f) निगरानी सं. 164/2025 (2025/263) (शिवराम बनाम कालूराम वगैरा) ग्राम पंचायत मोगडा कला की मिसल सं. 172/2018–19 में बुक सं. 01 में से पट्टा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सं. शून्य जारी दिनांक 04.12.2019, संकल्प सं. 04 दिनांक .... को अपास्त करने हेतु दिनांक 03.07.2023 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुई है। अप्रार्थी 1 कालूराम व अप्रार्थी 2 उमाराम की ओर से श्री प्रहलाद सिंह व करण सिंह ने वकालतनामा पेश किया है।

3. उक्त सभी निगरानियों के अभिवचन एक समान ही है, सिर्फ पट्टा सं., मिसल सं. व पट्टा धारी के नाम में अंतर है। निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त व सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी पट्टों को इस न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 29/2016 से पट्टा सं. 34 दिनांक 20.02.2008, निगरानी सं. 30/2016 से पट्टा सं. 31 दिनांक 20.02.2008, निगरानी सं. 31/2016 से पट्टा सं. 32 दिनांक 20.02.2008 व निगरानी सं. 32/2016 से पट्टा सं. 33 दिनांक 20.02.2008 को निर्णय दिनांक 26.12.2017 से विधि विरूद्ध मानकर खारिज कर दिया था क्योंकि मौके पर 50 वर्ष पूर्व का निर्माण होना साबित नहीं पाया गया। परंतु नया सरपंच चुना जाने पर 300 वर्गगज का पट्टा बिना नियमों की पालना किये अप्रार्थीगण को जारी कर दिये गये है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 156 तक में दी गई प्रकिया की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ने नियमानुसार आवेदन शुल्क व नक्शा फीस जमा नहीं करवाई है। मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी की नियुक्ति नहीं की गई है तथा न ही मौका निरीक्षण किया गया है। सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है। भूखण्डों को नीलाम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के सरपंच से साठगांठ करके नियमों में दी गई प्रकिया का पालन किये बिना ही पट्टे प्राप्त कर लिये है, जो बिना क्षेत्राधिकार होने से शून्य है तथा अपास्त योग्य है। नियम 156 के तहत बातचीत करके पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा न ही उसका अनुमोदन सक्षम स्तंर से करवाया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को हजारों रूपयों का नुकसान पहुंचाया गया है। प्रार्थीगण ग्राम मोगडा कला के स्थायी निवासी होने से जनहित में गलत जारी पट्टों को निरस्त करवाने के अधिकारी है।

मौके पर प्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा होने के कारण उनके कब्जे के स्थान पर अन्य को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अतः अवैध पट्टों से प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से निगरानी पेश करने का अधिकारी है। अतः निगरानियां स्वीकार की जाकर, आक्षेपित पट्टों को निरस्त किया जावे।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस निगरानियों पर सुनी गई।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि सभी निगरानी सं. 159/2025 से 164/2025 के तथ्य व आक्षेप समान है जिसमें पंचायत ने 50 वर्षों पूर्व का कब्जा बताकर 300 वर्गगज का पट्टा नियम 157(1) के अंतर्गत जारी किया है, लेकिन नियमों में केवल कब्जे के आधार पर आवासीय पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमितीकरण में सिर्फ आवासीय/रहवासीय निर्मित मकान होने पर ही, पट्टा जारी किया जा सकता है। रिक्त/खाली भूखण्डों का विक्रय केवल मात्र नीलामी से ही किया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत ने नियमों को ताक में रखकर पंचायत की कीमती भूमि का मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया है, जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

इन्ही पट्टों की भूमि के पूर्व में भी ग्राम पंचायत ने अवैध पट्टे जारी किये गये थे, जिन्हे इस न्यायालय ने निगरानी सं. 29/2016 से 32/2016 में पारित निर्णय दिंनाक 26.12.2017 को निरस्त कर दिये थे, फिर भी ग्राम पंचायत ने उसी भूमि के पट्टे नियम 145 से 156 तक में दी गई व्यवस्था की पालना किये बिना ही पुनः जारी किये है, जो अपास्त योग्य है। नियम 156 में विक्रय करने पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है, परंतु ग्राम पंचायत ने पुनः सरपंच के परिवार व रिश्तेदारों को पट्टे जारी कर दिये, जो गलत होने से निरस्त किये जावे।

6. अप्रार्थी सं. 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा आक्षेपित सभी पट्टे नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही जारी किये है, समस्त रिकॉर्ड मिसल में उपलब्ध है, जिसमें आवेदन पत्र, मौका निरीक्षण फर्द, सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करना, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही विवरण दर्ज करना एवं निर्णय पारित करना इत्यादि शामिल है।

अप्रार्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन रहा कि पूर्व में जारी पट्टों में रही त्रुटियों के कारण खारिज किये गये थे। कब्जाधारियों द्वारा पुनः आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ने पूरी जांच करके, पुराने कब्जे के सत्यापन के पश्चात ये पट्टे जारी किये है, जो विहित प्रक्रिया अपनाकर, सही जारी किये है। राजनैतिक द्वेषभाव के कारण ये निगरानियां पेश की गई है, जो आधारहीन होने से खारिज की जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा ग्राम पंचायत मोगडा कला से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया एवं संबंधित विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. इस न्यायालय का प्रत्येक निगरानी के तथ्यों बाबत निष्कर्ष इस प्रकार है:-

A. निगरानी सं. 163/2025, 160/2025, 161/2025, 162/2025, 159/2025 में ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक 20.08.2019 का प्रस्ताव सं. 04 पारित कर प्राप्त आवेदन पत्रों में नक्शा तैयार करने व मौका निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंचों की नियुक्ति करने का अंकन पत्रावली अनुसार अंकित किया है, परंतु पंचायत की कार्यवाही विवरण में मिसल सं. 156, 57, 58, 252, 272, 51, 55, 60, 241, 228 इत्यादि को प्रस्ताव में बाद में भिन्न स्याही से जोडा गया है, जो संदिग्ध है। जिसमें अप्रार्थीगण को प्रकाश पटेल सरपंच का रिश्तेदार चाचा इत्यादि बताया है तथा सरपंच के स्थान पर वार्ड पंच मेकु देवी, सायरी व भीमाराम पटेल द्वारा अध्यक्षता करने का निर्णय राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 48(4) के अंतर्गत निर्णय लिया है। दिनांक 20.08.2019 की कार्यवाही विवरण पर रजिस्टर में प्रकाश सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है। जिसमें मिसल सं. 60/2018-19 को छोडकर अन्य मिसलों का उल्लेख ही नहीं है।

B. दिनांक 05.09.2019 की कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होना बताकर प्रस्ताव सं. 3 से पुराना कब्जा होना मानकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करना अंकित किया है, जिसमें मिसल सं. 56, 57, 58, 250, 251, 55, 60, 241, 228 बाद में अलग स्याही से अंकित किया गया है, जो संदिग्ध है, जिसमें आक्षेपित पत्रावलियां नहीं है।

C. कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आवेदक का विवरण ही अंकित नहीं है तथा पूर्व में ही कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति फोटो प्रति में की हुई है तथा सिर्फ दो वार्ड पंच के ही हस्ताक्षर/अंगूठा है तथा सरपंच प्रकाश के हस्ताक्षर है, जो स्वयं हितबद्ध व्यक्ति है।

D. दिनांक 05.09.2019 को ही प्ररूप 22 में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई है, परंतु यह विज्ञप्ति किन-किन स्थानों पर किस तारीख को, किसके द्वारा व किन-किन मौतबिरानों के सामने चस्पा की गई है, इसका कोई विवरण इस नोटिस की पुश्त पर अंकित ही नहीं है, जबकि नियम 148 के प्रावधानानुसार उक्त विवरण अपेक्षित है, जिसकी पूर्णतः अवहेलना की गई है।

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

E. दिनांक 22.10.2019 को, 30 दिन की अवधि में किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं होने का कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव सं. 3 में अंकन करते हुए नियम 157(1) के अंतर्गत पुराना कब्जा मानते हुए पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है, जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भवन निर्मित होने का कोई तथ्य अंकित ही नहीं है। उक्त प्रस्ताव सं. 3 में भिन्न स्याही से मिसल सं. 56, 57, 58, 250, 251, 55, 60, 241, 228 का अंकन किया है तथा उक्त मिसलों में श्री प्रकाश पटेल सरपंच को हितबद्ध व्यक्ति दर्शाया है तथा भूखण्ड पर पुराना कब्जा बताया है। आवासीय निर्माण होने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है, जो नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण के लिए आवश्यक है।

F. गवाहों के बयान पूर्व में ही छपे–छपाये प्रफोर्मा में अंकित है, जो श्री प्रकाश, सरपंच द्वारा हितबद्ध व्यक्ति होते हएु भी रिकॉर्ड किये है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के शपथ पत्र पूर्व में स्टांप पर प्रिंटेड इबारत पर है, जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर तक नहीं है तथा कॉलम रिक्त है, फिर भी नोटेरी के हस्ताक्षर है तथा शपथग्रहित के हस्ताक्षर नहीं है।

G. दिनांक 05.11.2019 को प्रस्ताव सं. 6 पारित कर मिसल सं. 56, 57, 58, 250, 251, 55, 60, 241, 228 में नियम 157(1)(ख) के अंतर्गत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सरपंच को हितबद्ध व्यक्ति दर्शाया है। दिनांक 14.11.2019 व 20.11.2019 को पट्टा की राशि जमा होना बताकर श्री प्रकाश स्वयं के हस्ताक्षरों से आक्षेपित पट्टे जारी किये गये है। पट्टा सं. 37/23.11.2019 की कार्यालय प्रति पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है।

9. उक्त तथ्यात्मक अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि दिनांक 20.08.2019, 05.09.2019, 22.10.2019, 05.11.2019 को ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा पारित प्रस्तावों में बाद में भिन्न स्याही से मिसल सं. 56, 57, 58, 250, 251, 55, 60, 241 व 228 अंकित है, जिसमें केवल एक निगरानीधीन मिसल सं. 60/2018–19 ही शामिल है तथा निगरानीधीन मिसल सं. 59/2018–19, 61/2018–19 व 62/2018–19 शामिल ही नहीं है तथा मिसलों की आदेशिकाओं में झूठे कथन अंकित करके पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 20.08.2019, 05.09.2019, 22.10.2019, 05.11.2019 अंकित किया है तथा पंचायत के संकल्पों के बिना ही आक्षेपित पट्टे जारी किये गये है, जो प्रारंभतः ही केवल सरपंच द्वारा जारी करना ही पाया जाता है, जो क्षेत्राधिकारिता से परे व शून्य होने से अपास्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मिसल सं. 60/2018–19 में जारी पट्टा भी पूर्व में किये गये तथ्यात्मक विश्लेषणानुसार गैर कानूनी रूप से पुराना निर्मित भवन का साक्ष्य प्राप्त किये विना जारी करना पाया जाता है, जो निरस्त योग्य है।

10. उपरोक्त सभी पट्टो में नियम 148 के प्रावधानों की पूर्णतः अवहेलना की गई है तथा नियम 146 की भी अवहेलना हुई है जिसमें सिर्फ दो वार्ड पंच की ही कमेटी द्वारा अधूरी व अस्पष्ट रिपोर्ट तैयार की गई है।

11. <u>निगरानी सं. 159/2025 (2025/255)</u> शिवराम बनाम सालगराम में मिसल सं. 63/2018–19 में पट्टा सं. 40 दिनांक 26.11.2019 को जारी करना बताया है। उक्त मिसल सं. 63/2018–19 का ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.08.2019 में मिसल दर्ज होने का अंकन नहीं है। इस न्यायालय के पत्रांक 23.05.2025 से उक्त पट्टे से संबंधित मिसल सं. 63/2018–19 तलब करने पर प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत मोगडा कला ने पत्रावली उपलब्ध ही नहीं कराई है।

12. <u>निगरानी सं. 164/2025 (2025/263)</u> लक्ष्मणराम बनाम कालूराम वगैरा में मिसल सं. 172/2018–19 दायर दिनांक 20.08.2019 में बुक सं. 01 में से पट्टा सं. शून्य दिनांक 04.12.2019 को कालूराम व उमाराम के पक्ष में प्रस्ताव सं. 04 दिनांक .... से 33.333 वर्गगज का 50 वर्ष से अधिक पुराना घर का कब्जा दर्शाकर जारी किया गया है। उक्त मिसल का ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.08.2019 में अंकन ही नहीं है। ग्राम पंचायत मोगडा कला ने पत्रांक 41 दिनांक 19.08.2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया है कि मिसल सं. 172/2018–19 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। संबंधित पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही पत्रांक 35 दिनांक 06.08.2025 से भेजा जा चुका है। जिसका अवलोकन किया गया। बैठक विवरण रजिस्टर दिनांक 20.10.2019 से 07.10.2020 तक में केवल बैठक दिनांक 22.10.2019, 05.11.2019 व 07.10.2020 का विवरण ही दर्ज है, दिनांक 04.12.2019 की ग्राम पंचायत की बैठक का विवरण ही अंकित नहीं है। दिनांक 05.11.2019 की बैठक के प्रस्ताव सं. 6 में वर्ष 2018–19 में कांट छांट करके वर्ष 2019–20 किया गया है। पट्टे पर बुक सं. 01 लिखा है परंतु पट्टा सं. रिक्त है, जबकि नियमानुसार पट्टा बुक पंचायत समिति से जारी होती है, जिस पर प्रत्येक पट्टा पर पट्टा सं. पूर्व से ही प्रिंटेड होती है। इस पट्टे की मिसल ही उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में पट्टा जारी करनें हेतु विहित प्रक्रिया का पालन होने की जांच करना संभव नहीं है तथा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में उक्त मिसल

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

का अंकन ही नहीं है तथा सरपंच अकेला पट्टा जारी करने हेतु सक्षम ही नहीं है। इस प्रकार उक्त पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया गया है। अतएव अपास्त योग्य है।

13. उपरोक्त विस्तृत तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त सभी निगरानियों में पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत पुराना कब्जा मानकर विनियमितीकरण के रूप में मात्र 200 रूपये की राशि प्राप्त करके सरपंच ने अपने हस्ताक्षरों से जारी किये है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ मिसल सं. 60/2018–19 को छोडकर किसी में भी प्रस्ताव तक पारित नहीं किये गये है। दिनांक 20.08.2019, 05.09.2019, 22.10.2019, 05.11.2019 में उक्त मिसलों का अंकन ही नहीं है तथा अन्य मिसल सं. का भिन्न स्याही से अंकन किया है तथा सरपंच को हितबद्ध व्यक्ति बताया है। मिसलों में उपलब्ध मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर केवल दो पंचो के हस्ताक्षर/अंगूठा है तथा उसमें भी पुराना भवन निर्मित होने का तथ्य अंकित नहीं है। इसी प्रकार नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां विधि अनुसार आमंत्रित करके, उनका निस्तारण भी विधिवत रूप से नहीं किया गया है। फिर भी प्रारूप 23 क में नियम 157(1) के तहत पट्टे जारी किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

आदेश

14. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा मिसल सं. 59/2018–19 में जारी पट्टा सं. 36 दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 60/2018–19 में जारी पट्टा सं. 37 दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 61/2018–19 में जारी पट्टा सं. 38 दिनांक 23.11.2019, मिसल सं. 62/2018–19 में जारी पट्टा सं. 39 दिनांक 26.11.2019, मिसल सं. 63/2018–19 में जारी पट्टा सं. 40 दिनांक 26.11.2019, मिसल सं. 172/2018–19 में जारी पट्टा सं. शून्य दिनांक 04.12.2019 विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होना पाया जाने के कारण अपास्त योग्य है। अतएव उक्त विवरण के छः पट्टों को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा पट्टों से संबंधित संकल्प भी अपास्त किये जाते है।

15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत मोगडा कला को पुनः लौटाया जावे।

16. लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

FORM No. 123
(Order 24 R...)

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर